



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

Website: psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :- 04/E-2/DR/Civil Judge/2024-25

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 {Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (Junior Division) Exam- 2023}

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	::	16 मई, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि	::	05 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क- Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI payment द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि	::	05 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	::	11 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन/परिवर्तन करने की अंतिम तिथि	::	21 जून, 2025 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम-2023 समय-समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532/2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अंतिम तिथि अर्थात् दिनांक 05 जून, 2025 तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

	विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।
4.	अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य किया जायेगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर प्रश्नगत् पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरुष अथवा किसी पुरुष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किये जाने पर उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

9.	i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रमाण-पत्र को आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ii- प्रश्नगत पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति), मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकृति) एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान परीक्षा (अर्हकारी प्रकृति) का आयोजन निर्धारित परीक्षा योजना/पाठ्यक्रम (परिशिष्ट-2) के अनुसार किया जाएगा। तत्पश्चात् मुख्य/लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया जायेगा। iii- आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। iv- विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। v- मुख्य/लिखित परीक्षा में औपबन्धिक रूप से सफल घोषित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा-शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022(यथा संशोधित) के भाग-नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा। vi- अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आईडी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
10.	अभ्यर्थी प्रारम्भिक परीक्षा में परीक्षा केन्द्र के चयन हेतु नगरों की सूची के लिए परिशिष्ट-1, प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट-2, आरक्षण से संबंधित प्रमाण-पत्रों के प्रारूप के लिए परिशिष्ट-3, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-4, 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट-5, न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत हेतु परिशिष्ट-6 तथा अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों की चेक-लिस्ट हेतु परिशिष्ट-7 का अवश्य अवलोकन करें।
11.	प्रश्नगत प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) एवं मुख्य परीक्षा (लिखित प्रकृति) हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-06 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी/उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट (MERIT) के आधार पर प्रवीणता-सूची हेतु विचारित किया जायेगा।

12.	विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्र पर किया जायेगा। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी।
14.	अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन पत्रों/अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) विज्ञापन में उल्लिखित शर्तों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित) में उल्लिखित प्राविधानानुसार सम्पादित की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा। अभ्यर्थी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (यथा संशोधित) जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, का अवलोकन कर सकते हैं। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा।
15.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रूप से चयन कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
16.	प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 05 जून, 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

प्रारम्भिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय पृथक से आयोग की वेबसाइट तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

02. रिक्तियों का विवरण :- सिविल न्यायाधीश पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 08 है। राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटायी अथवा बढ़ायी जा सकती है। रिक्तियों एवं अर्हताओं का पदवार विवरण तथा पदों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणीवार (उर्ध्व/क्षैतिज) आरक्षण का विवरण निम्नवत् है :-

आरक्षण श्रेणी	रिक्त पद	क्षैतिज रिक्तियों का विवरण
		उत्तराखण्ड महिला
अनारक्षित	06	02
अनुसूचित जनजाति	01	—
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	—
योग	08	02

नोट:— समाज कल्याण, अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-48, दिनांक 05 जून, 2023 में प्रश्नगत पद हेतु दिव्यांगजन के लिए चिन्हांकित उपश्रेणियां **LC (Leprosy Cured) DW (Dwarfism) AAV (Acid Attack Victims) MDy (Muscular Dystrophy)** निर्धारित है। उक्त के अतिरिक्त अन्य दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

03. पद का स्वरूप :—राजपत्रित/स्थायी/अंशदायी पेंशनयुक्त (समूह-‘ख’)।

04. वेतनमान :—77840-136520 (J-1) (शासनादेश संख्या 292/XXXVI-A-1/2022-261/2022, दिनांक 08.09.2022 द्वारा संशोधित)

05. (1) अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं :— उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली-2006 के नियम-06 के अनुसार निम्नवत् प्राविधानित है:—

- (अ) उत्तराखण्ड में विधि द्वारा स्थापित अथवा इस निमित्त राज्यपाल द्वारा मान्य भारत के किसी विश्वविद्यालय का विधि स्नातक।
- (ब) देवनागरी लिपि में हिन्दी का सम्यक् ज्ञान।
- (स) कम्प्यूटर संचालन का आधारभूत ज्ञान।

(1) Essential Educational Qualifications :- A Candidate for direct recruitment to the Service be :

- (a)** A Bachelor of Law from a University established by Law in Uttarakhand or by other University of India recognized for this purpose by the Governor.
- (b)** Must possess thorough knowledge of Hindi in Devnagri script.
- (c)** Basic Knowledge of Computer operation.

06. आयु :— आयु गणना की विनिश्चायक तिथि 01 जनवरी 2025 है। इस तिथि को अभ्यर्थी की निम्नतम आयु 22 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होनी चाहिए।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अन्य ऐसी श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय, अधिकतम आयु उतनी बढ़ायी जायेगी जैसा कि विहित किया जाये।

07. अधिकतम आयु सीमा में छूट :—

विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

08. आरक्षण :— उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार

प्रदान किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

(i) शासनादेश संख्या-310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये।

(ii) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या:-09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022 दिनांक 10 जनवरी, 2023 के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम-2022 के प्रस्तर-3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(iii) शासनादेश संख्या 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023 के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है।

शासनादेश संख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धान्त परिशिष्ट-4 में संलग्न है।

आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति सहित अन्य स्वप्रमाणित अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख परिशिष्ट-3 में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना होगा।

09. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी रूप से निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, म्यामार (पूर्व बर्मा), श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रिकी देश, केनिया, यूगांडा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार के पूर्वी अफ्रिकी देशों से प्रवजन किया हो):

परन्तु उपरोक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक महानिदेशक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

स्पष्टीकरण:- ऐसे अभ्यर्थी के मामले में जिसके लिए पात्रता प्रमाण पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न ही देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है किन्तु शर्त यह है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

10. चरित्र :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे वह सरकारी सेवा नौकरी के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी विषय में स्वयं समाधान करेगा।

टिप्पणी- संघ, सरकार या राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा पदच्युत या भारत अथवा किसी अन्य राज्य की विधिज्ञ परिषद् (बार काउन्सिल) द्वारा अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय करने से प्रतिबन्धित या नैतिक अधमता के लिए भारतीय दण्ड संहिता अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अवधि के अधीन सिद्ध दोष या कारावास का दण्ड पाये व्यक्ति सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

11. वैवाहिक प्रारिथि- सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक या अधिक पत्नी जीवित हो; परन्तु यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

12. शारीरिक स्वस्थता- किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिससे उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हों। किसी अभ्यर्थी को नियुक्त करने के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे आयुर्विज्ञान परिषद् स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया (Procedure to apply online) :-

1. अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **pscuk.net.in** पर जायें।
2. विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **pscuk.net.in** पर जाकर **Menubar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।
3. **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर **वॉछित**, अपनी सही जानकारी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक् परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

4. **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message** प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।
5. **Login** करने के पश्चात् **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार **High School** का विवरण भर कर **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education Detail** के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात् **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **reupload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Check box** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते हैं।
6. **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात् **“I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself” declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरे गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर पुनः वापस जाकर सही किया जा सकता है। वांछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।
7. **Final Submission के उपरान्त आवेदन-पत्र** में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (**Cancel**) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात् एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी (OTP) प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (**Application Cancel**) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन (**Cancel Application**) के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

नोट: (1) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन-पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस (**Back**) जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या (**Technical Issue**) के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpine@gmail.com** पर ई-मेल कर सकते हैं।

- (2) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन-पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।
- (3) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर Edit** नहीं किया जा सकता है।

14. ऑनलाइन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया :- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा-निर्देश:-

- (i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत **Edit/Correction** का लिंक खोला जाएगा।
- (ii) **Edit/Correction** हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- (iii) जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई-मेल आईडी एवं पासवर्ड से लॉग-इन कर पायेंगे।
- (iv) लॉग-इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- (v) अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- (vi) **Edit/Correction** की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- (vii) अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तों के अनुसार देय होगा एवं अभ्यर्थी का शुल्क का भुगतान कर **Edit/Correction** की प्रक्रिया को पूर्ण करना होगा। यदि अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नहीं होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी को **Edit/Correction** की प्रक्रिया को **Final Submit** बटन पर क्लिक कर पूर्ण करना होगा।

15. आवेदन शुल्क :- प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :-

क्र०सं० (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	अनारक्षित (Unreserved)	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
02.	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
03.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	रु० 150	रु० 16.36	रु० 166.36
04.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति (SC)	रु० 60	रु० 16.36	रु० 76.36
05.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति (ST)	रु० 60	रु० 16.36	रु० 76.36
06.	उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक/ राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे (Orphan)	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं
07.	उत्तराखण्ड शारीरिक दिव्यांग (चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग) (PWD)	कोई शुल्क नहीं	रु० 16.36	रु० 16.36

नोट: (1) उत्तराखण्ड राज्य के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी व उनके आश्रित जिस वर्ग या

श्रेणी, यथा—अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(2) उत्तराखण्ड शासनादेश संख्या— 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 एवं शासन के पत्र सं०— 232/XXX(2)/2018/30(05)/2014 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छुट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 16.36 देय होगा।

16. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-

(01) प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष उपयुक्त अभ्यर्थियों के चयन हेतु आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित किये जाने की दशा में, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थी ही मुख्य लिखित परीक्षा एवं कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में सम्मिलित किये जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा एवं "कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा" के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा एवं व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के प्राप्तांक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे।

(02) मुख्य (लिखित) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को यथासमय ऑनलाइन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिन्ट आउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से सम्बन्धित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ पृथक से विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी।

(03) **THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) RULES-2013 के CHAPTER-IV के बिन्दु संख्या-22(9) में निम्नवत् उल्लेख है—**

"The Candidates who fail to produce required certificate/certificates on the date of interview (or as directed by the Commission) shall not be allowed to appear at the interview and their candidature shall stand rejected"

उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाइन आवेदन में दावित किये गये समस्त प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

(04) साक्षात्कार से पूर्व किसी भी स्तर पर आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे लिखित परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में भी प्रकाशित की जायेगी।

(05) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों को निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा—

(i) लिखित परीक्षा में अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अंकों एवं शब्दों में अनुक्रमांक लिखेंगे। यदि अभ्यर्थी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिकाओं का प्रयोग करता है तो उसके आवरण पृष्ठों पर ऊपर दाहिनी ओर शीर्ष पर अनुक्रमांक लिखेंगे। प्रश्नोत्तर में यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए **XYZ** अथवा 'अबस' एवं पता के स्थान पर **ABC**

अथवा 'कखग' लिखेंगे। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक, तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता है।

- (ii) प्रश्न-पत्र दिए गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष कि उपेक्षा कि जायेगी। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाय कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाय।
- (iii) अभ्यर्थी प्रश्न-पत्रों का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न-पत्रों का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात् प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।
- (iv) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के बीच में खाली पृष्ठों को (यदि कोई हो) "कास" करेंगे तथा प्रयोग की गयी कुल उत्तर पुस्तिकाओं की संख्या मुख्य उत्तर-पुस्तिका के प्रथम आवरण पृष्ठ पर लिखेंगे, जिन्हें कक्ष निरीक्षक द्वारा चेक किया जायेगा।
- (v) प्रश्न पुस्तिका के पन्ने के दोनों ओर लिखें। उत्तर-पुस्तिका से कोई पन्ना न फाड़ें। यदि किसी पृष्ठ पर रफ कार्य (Rough work) किया जाए या कोई उत्तर भूल से लिखा जाए तो उसे आर-पार रेखाएं खींच कर काट दें, किन्तु पन्ना कदापि न फाड़ें।
- (vi) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायेगी—
 1. पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
 2. मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।
 3. प्रश्न संख्या न लिखने अथवा गलत प्रश्न संख्या लिखने पर 01 अंक, प्रश्न का खण्ड संख्या न लिखने अथवा गलत खण्ड संख्या लिखने पर 1/2 अंक तथा प्रश्न का उपखण्ड संख्या न लिखने अथवा गलत उप खण्ड संख्या लिखने पर 1/4 अंक की कटौती की जायेगी।
 4. उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासंगिक शब्दावली/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक तथ्य लिखने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।
 5. उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंको की कटौती की जायेगी।
 6. उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंको की कटौती की जायेगी।
 7. उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंको की कटौती की जायेगी।
 8. उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

9. उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासांगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।
 10. प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर **XYZ** या '**अबस**' एवं पते के स्थान पर **ABC** अथवा '**कखग**' के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।
 11. उत्तर लिखने में केवल नीली अथवा काली स्याही (इंक) के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।
- (06) अभ्यर्थी सावधानीपूर्वक नोट कर लें कि मुख्य लिखित परीक्षा में वे उसी अनुक्रमांक पर परीक्षा में बैठेंगे जो उन्हें प्रारम्भिक परीक्षा के लिए आवंटित किया गया है।
- (07) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर सेवा नियोजक द्वारा निर्गत '**अनापत्ति प्रमाण-पत्र**' अभ्यर्थी को प्रस्तुत करना होगा।
- (08) अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के समय या व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) से पूर्व आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप पर आवेदन-पत्र एवं अन्य प्रपत्र को भरना होगा। साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों का परीक्षण कराना होगा तथा स्वप्रमाणित पासपोर्ट आकार के 04 फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।
- (09) **उत्तर कुंजी आपत्ति-** प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। **निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।** अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क ₹0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो वैसे अभ्यर्थी द्वारा आयोग कार्यालय में प्रस्तुत आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के पश्चात विषय विशेषज्ञों की संस्तुतियों के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी।
- (10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली वस्तुनिष्ठ प्रकृति की परीक्षाओं में ऋणात्मक मूल्यांकन (Negative Marking) पद्धति अपनायी जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए गलत उत्तर के लिए या अभ्यर्थी द्वारा एक प्रश्न के एक से अधिक उत्तर देने के लिए (चाहें दिए गए उत्तर में से एक सही ही क्यों न हों), उस प्रश्न के लिए दिए जाने वाले अंको का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जायेगा। दण्ड स्वरूप प्राप्त अंको के योग को कुल प्राप्तांक में से घटाया जाएगा।

- (11) न्यूनतम अर्हक अंक— (i) उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह कि लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।
- (ii) ऐसे अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।
- (12) रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु मुख्य (लिखित) परीक्षा के पूर्व प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) आयोजित करायी जा सकती है। प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों को अन्तिम चयन परिणाम में नहीं जोड़ा जाएगा।
- (13) मुख्य लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार अभ्यर्थियों को प्रवीणता के आधार पर सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।
- (14) मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित अभ्यर्थियों के प्रमाण-पत्रों का आयोग द्वारा सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के दौरान यदि अभ्यर्थी की अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
- (15) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवानियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।
- (16) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013** एवं प्रथम संशोधन-2016 तथा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।
- (17) ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में मुख्य (लिखित) परीक्षा से पूर्व आयोग कार्यालय द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक प्राप्त किए जायेंगे। आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका-2022 (समय-समय पर यथा संशोधित) के आलोक में सम्पन्न की जायेगी, जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की

श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

- (18) अभ्यर्थियों को परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।
- (19) यदि किसी अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने से लेकर प्रवेश पत्र डाउनलोड होने तक कोई तकनीकी समस्या आती है तो वह इन समस्याओं के निवारण हेतु आयोग की ई-मेल **ukpschelpine@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।
- (20) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा में बुलाये जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीनिंग/प्रारम्भिक परीक्षा कराये जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा विधि (Law) की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।
- (21) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) उत्तराखण्ड राज्य के हल्द्वानी (नैनीताल), हरिद्वार, देहरादून, रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर) के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जायेगी।
- (22) गलत उत्तरों के लिए दण्ड – वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।
- (क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प (उत्तर) हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।
- (ख) किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
- (ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।
- (23) प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।
- (24) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक

उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि अभ्यर्थी इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

- (25) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश-2023 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।
- (26) **परीक्षा केन्द्र में आचरण** – कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
- (27) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)** – सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बायें अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दायें अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।
- (28) **प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा** (यदि आयोजित होती है तो) में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य (लिखित) परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा के अंक, अंतिम चयन परिणाम में मुख्य (लिखित) परीक्षा एवं साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ नहीं जोड़े जायेगे तथा अंतिम चयन परिणाम मुख्य (लिखित) परीक्षा व साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर नियमानुसार (आरक्षण आदि का लाभ देते हुए) घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।
- (29) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, वैसी दशा में ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।
- (30) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

- (31) विज्ञापन के सापेक्ष आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे आवेदित पद हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। चयन के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।
- (32) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।
- (33) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन-पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जायेगा एवं आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (34) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules- 2013 यथा संशोधित –2016 के अनुक्रम में कार्यवाही की जाएगी।
- (35) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को यह चेतावनी दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई संशोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें अथवा जाली प्रलेख प्रस्तुत नहीं करें। यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति पायी जाती है तो इस विसंगति के संबंध में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना होगा।
- (36) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा:-
 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कुटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों

को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बात लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हो, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (ग) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (घ) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है। (ङ) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (च) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (छ) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

- (37) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ आवेदित पद का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।
- (38) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।
- (39) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन का ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से पात्र है।

- (40) अभ्यर्थियों को प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** का समय-समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
- (41) सम्बन्धित पदों हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।
- (42) अभ्यर्थी प्रारम्भिक (स्क्रीनिंग) परीक्षा/मुख्य (लिखित) परीक्षा/साक्षात्कार परीक्षा के दौरान, अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र में उल्लिखित आई0डी0 अपने साथ अवश्य रखें एवं मांगे जाने पर उक्त आई0डी0 की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (43) अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु सभी पुष्ट प्रमाण पत्र कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे अन्यथा उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आरक्षण सम्बन्धी सभी शासनादेशों एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रारूपों के आधार पर ही आरक्षण का दावा एवं अनुमन्यता देय होगी।

-SD-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट-1

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 के अन्तर्गत अभ्यर्थियों के चयन हेतु प्रारम्भिक/स्क्रीनिंग (वस्तुनिष्ठ प्रकार) की परीक्षा का आयोजन निम्न नगरों में कराया जाना प्रस्तावित है:-

अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में परीक्षा केन्द्र के लिए नगर हेतु अपना विकल्प प्रस्तुत करें-

S.No.	Center	City Code
01	Haldwani	01
02	Haridwar	02
03	Dehradun	03
04	Rudrapur	04

नोट:- अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटायी-बढ़ायी जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं, जिसमें आयोग का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2- प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में सफल अभ्यर्थियों हेतु मुख्य परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार स्थित परीक्षा भवन में किया जाएगा।

परिशिष्ट-2

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023

परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम

परीक्षा योजना:—प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार तीन स्तर सम्मिलित हैं यथा (1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार की) (2) मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) (परम्परागत प्रकार की) (3) मौखिक परीक्षा (व्यक्तित्व परीक्षा)।

टिप्पणी:— प्रारम्भिक परीक्षा आवेदकों की संख्या विज्ञापन में उल्लिखित रिक्तियों के अनुपात में बहुत अधिक होने की स्थिति में ही आयोग के निर्णय के अनुसार आयोजित होगी। इस परीक्षा के प्राप्तांक मुख्य लिखित परीक्षा व साक्षात्कार (व्यक्तित्व परीक्षण) के प्राप्तांकों के साथ नहीं जोड़े जायेंगे।

(1) प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा में एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न-पत्र होगा जिनके उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 शीट के रूप में होंगे। प्रश्न पत्र हेतु निर्धारित समय तीन घण्टे है।

प्रारम्भिक लिखित प्रवेश परीक्षा के प्रश्न-पत्र दो भागों में विभाजित किये जायेंगे। भाग- एक 50 अंक तथा भाग- दो 150 अंक का होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में निम्नवत विषय होंगे:

भाग-1 :- सामान्य ज्ञान :- भारत और विश्व की विशेषकर विधि जगत में घटित होने वाली दिन-प्रतिदिन की घटनायें सम्मिलित की जायेंगी। प्रश्न मुख्यतः अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम लागू विधान विशेषकर भारतीय संविधान, विधि और विकास तथा विधिक मामले परन्तु ये यही तक ही सीमित नहीं होंगे।

भाग-2 :- इसमें निम्नलिखित अधिनियम और विधियां सम्मिलित होगी :- सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम, हिन्दू विधि के सिद्धान्त व मुस्लिम विधि के सिद्धान्त, भारतीय साक्ष्य अधिनियम-1872 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय दण्ड संहिता-1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023, दीवानी प्रक्रिया संहिता-1908

(2) मुख्य परीक्षा और व्यक्तित्व परीक्षा (साक्षात्कार) के लिए निर्धारित विषय एवं पाठ्यक्रम

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा की प्रतियोगात्मक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम में निम्नलिखित विषय होंगे तथा प्रत्येक विषय के कुल अंक उसके सम्मुख दर्शाये गये हैं :-

1.	वर्तमान परिदृश्य (Present Day)	150	अंक
2.	भाषा (Language)	100	अंक
3.	विधि प्रश्न पत्र- I (मुख्य विधि) (Substantive Law)	200	अंक
4.	विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) (Evidence and Procedure)	200	अंक
5.	विधि प्रश्न पत्र- III (राजस्व और दण्डिक) (Revenue and Criminal)	200	अंक
6.	For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100	अंक
7.	व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)	100	अंक

मुख्य परीक्षा (लिखित परीक्षा) का पाठ्यक्रम निम्नवत् है :-

- वर्तमान परिदृश्य :-** यह प्रश्न पत्र भारत और विश्व में वर्तमान में क्या घटित हो रहा है, पर अभ्यर्थियों के ज्ञान की प्रतिक्रिया के परीक्षण के लिए है। सामान्यतया वर्तमान परिदृश्य में विशेष रूप से विधिक क्षेत्र की ओर उसकी अभिव्यक्ति प्रदर्शित करने वाले प्रश्नों के उत्तर सरल प्रकृति के होंगे जो मुख्यतया विधिशास्त्र, अन्तर्राष्ट्रीय विधि, तटस्थता, नवीनतम विधायन एवं विशेष रूप से भारतीय संवैधानिक विधि और विकास पर आधारित होंगे।
- भाषा :-** अंग्रेजी का एक प्रस्तर प्रस्तुत किया जायेगा और अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे उसका अनुवाद न्यायालयों में बोली जाने वाली सामान्य भाषा देवनागरी लिपि में करें।30 अंक
उसी प्रकार हिन्दी के एक प्रस्तर की सामान्य अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने की अपेक्षा की जायेगी।30 अंक
साथ ही साथ एक अंग्रेजी लेखन (English Precise Writing) की भी परीक्षा होगी।40 अंक
- विधि प्रश्न पत्र-I (मुख्य विधि) :-** संविदा विधि, भागीदारी विधि, सुखाचार और अपकृत्य विधि से सम्बन्धित विधि, सम्पत्ति के अन्तरण से सम्बन्धित, जिसमें साम्य का सिद्धान्त भी सम्मिलित है, साम्य का सिद्धान्त न्यास और विनिर्दिष्ट अनुतोष, हिन्दू विधि और मुस्लिम विधि के विशेष संदर्भ तक प्रश्न पत्र सीमित होगा।
- विधि प्रश्न पत्र- II (प्रक्रिया और साक्ष्य) :-** इसमें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, दीवानी प्रक्रिया संहिता-1908 जिसमें अभिवचन के सिद्धान्त भी सम्मिलित

है, का क्षेत्र समाहित होगा। प्रश्न पत्र में मुख्यतया व्यावहारिक मामलों, जैसे आरोप और विवाद्यक बनाना, साक्षियों से साक्ष्य ग्रहण करने का तरीका, निर्णय लिखना और मामलों को सामान्यतया व्यवहृत करना आदि होगा परन्तु यह इन्हीं विषयों तक सीमित नहीं रहेगा।

5. **विधि प्रश्न पत्र— III (राजस्व और दाण्डिक) :-** उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम (जैसा कि उत्तराखण्ड में लागू है), भारतीय दण्ड संहिता—1860 और भारतीय न्याय संहिता, 2023।

टिप्पणी :- अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा होगी कि वह विधि के समस्त प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय नवीनतम निर्णय तथा महत्वपूर्ण मामलों को उनमें उल्लिखित करें।

(3) For Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office

Maximum Marks – 100

Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40

Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

(4) व्यक्तित्व परीक्षा (VIVA VOCE)

100 अंक

व्यक्तित्व परीक्षा :- न्यायिक सेवा में सेवायोजन के लिए अभ्यर्थी की उपयुक्तता उसके विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय के अभिलेखों और उसके बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के सन्दर्भ में देखी जायेगी। उसके सम्मुख जो प्रश्न रखे जायेंगे वह सामान्य प्रकृति के होंगे और यह आवश्यक नहीं होगा कि वे शैक्षिक अथवा विधिक प्रकृति के ही हों।

टिप्पणी :- (1) व्यक्तित्व परीक्षा में प्राप्त अंक, लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों में जोड़ दिये जायेंगे।

- (2) आयोग के पास यह अधिकार सुरक्षित होगा कि वह किसी अभ्यर्थी को, जिसने विधि प्रश्न पत्रों में निर्धारित अंक प्राप्त न किये हों, जैसा व्यक्तित्व परीक्षण में आमंत्रित करने के लिए आवश्यक हो अथवा देवनागरी लिपि में हिन्दी लेखन का पर्याप्त ज्ञान न हो, व्यक्तित्व परीक्षा के लिए आमंत्रित करने से मना कर सकते हैं।

Uttarakhand Judicial Service Civil Judge (Junior Division)

Examination-2023

Examination Plan and Syllabus for the Examination.

Examination Plan:- Competitive Exam consists of three stages i.e. (1) **Preliminary Examination (Objective Type)** (2) **Main Examination (Written Examination) (Descriptive Type)** (3) **Viva-voce Examination (Interview)**.

Note:- The Preliminary examination will be conducted as per the decision of the Commission only when the number of applicants is proportionally much more than the vacancies mentioned in the Advertisement. The marks obtained in this examination will not be added to the marks obtained in the Main written examination and Interview.

(1) For Preliminary written Entrance (Screening) Examination:

The preliminary written entrance examination will be objective type test, the answer sheet of which will be OMR format. The question paper duration will be of 03 hours.

The Preliminary written entrance examination paper will be divided into two parts. Part-I will contain 50 marks and Part-II will contain 150 marks. There will be objective type test on the following subjects:-

Part-I :- General Knowledge. It will include day to day happenings around India and the World, particularly in the legal spheres. The questions may relate mainly to international law, neutrality, recent legislation pronouncement particularly Indian Constitution, law and development and legal aspects but it will not be confined to this only.

Part-II :- It will cover the following Acts and Laws – Transfer of Properties Act, Principle of Hindu Laws and Principle of Muslim Laws, Indian Evidence Act-1872 & the Bhartiya Sakshya Adhiniyam, 2023, Code of Criminal Procedure 1973 & the Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, Indian Penal Code-1860 & the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023, Civil Procedure Code-1908.

(2) For Main written Examination and Viva-voce Examination (Interview)

Syllabus for competitive examination for recruitment to the Uttarakhand Nyayik Seva

The examination will include the following subjects, each subject will carry the number of mark shown against it:

Subject	Mark
1- The Present Day	150
2- Language	100
3- Law: Paper I - Substantive Law	200
4- Law: Paper II - Evidence & Procedure	200
5- Law: Paper III - Revenue & Criminal	200
6- For Basic Knowledge of computer Operation Practical Examination	100
7- Viva-Voce	100

Main Examination (Written Examination) syllabus is following:-

- (1) **The Present Day** - This paper is designed to test the candidate's knowledge of the reactions to what is happening in India and the world generally at the present day, particularly in the legal sphere and also his power of expression in English Questions, the answers to which should be in essay form will relate mainly to jurisprudence, international law, neutrality, recent legislation, particularly- Indian constitutional law and developments, especially on their legal aspect and so on but will not be confined to them. Credit will be given both for substance and expression, conversely deduction will be made for bad expression, including faults of grammar, misuse of words etc.

- (2) **Language** - A passage in English will be set and the candidate will be required to translate it into the ordinary language spoken in the courts, using Devnagari Script ----- Marks 30
Likewise a passage of Hindi will be required
to be translated in ordinary English language. ----- Marks 30
There will be English Précis writing also. ----- Marks 40

- (3) **Law: Paper I-Substantive Law** -The questions set will be restricted to the field covered by-
The Law of Contracts; the Law of Partnership; the Law concerning Easements and Torts; the Law relating to Transfer of Property, including the Principles of Equity specially applicable thereto; the Principles of Equity, with special reference to the Law of Trust and specific relief. Hindu Law and Mohammedan Law.
- (4) **Law: Paper II - Evidence and Procedure** - The field will be that covered by The law of Evidence, The Bhartiya Sakshya Adhinyam, 2023, The Code of Criminal Procedure-1973 & The Bhartiya Nagrik Suraksha Sanhita, 2023, Code of Civil Procedure-1908, including the principles of pleading. The questions set will relate mainly to practical matters; such as the framing of charges and issues, the methods of dealing with the evidence of witness, the writing of judgment and the conduct of cases generally but will not be restricted to them.

- (5) **Law: Paper III- Revenue & Criminal** - U.P. Zamindari Abolition and Land Reforms Act (as applicable in Uttarakhand), Indian Penal Code-1860 & the Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023.

Note- The candidates will be required to refer to the latest judgements and important cases while answering all Law question papers.

(3) For Basic Knowledge of Computer Operation Practical Examination

Microsoft Windows Operating system and Microsoft Office

Maximum Marks – 100

Minimum Qualifying Marks to be obtained – 40

Time allowed: One Hour

The paper shall be set from the given syllabus broadly taking one question from each i.e. - (1) Windows and internet. (2) M.S. - word. (3) M.S. - Access. (4) M.S. - Excel and (5) M.S. - Power Point. Each question shall have five actions to be performed on the system each having four marks. Printout of the output shall be taken and given for evaluation.

(4) Viva-Voce-

100 Marks

The suitability of the candidate for employment in the Judicial Service will be tested with reference to his record at School, College and University and his personality, address and physique. The questions which may be put to him may be of a general nature and will not necessarily be of an academic or legal nature.

NOTE: - (i) The marks obtained in viva-voce will be added to the marks obtained in the written papers and the candidate's place will depend on the aggregate of both.

(ii) The Commission reserves the right to refuse to call for viva-voce any candidate who has not Obtained such marks in the Law Papers as to justify such refusal.

परिशिष्ट-03

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसीलनगर जिला उत्तराखण्ड के राज्य की ...
..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की
अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना
संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम
.....तहसील नगर जिलामें सामान्यतया
रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर

दिनांक :

पूरा नाम

पदनाम

मुहर

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण
अधिकारी।

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री निवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तराखण्ड की
..जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित हुआ)
संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित
जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार
उत्तराखण्ड के ग्राम तहसील नगर जिला
में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर

दिनांक : पूरा नाम

मुहर : पदनाम

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या –

तारीख

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के
अध्यक्ष द्वारा विधिवत
प्रमाणित उम्मीदवार
का हाल का फोटो
जो उम्मीदवार की
निःशक्तता दर्शाता
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ...
.....आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगें (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगें और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित
(क) दुर्बल पहुँच
(ख) कमजोर पकड़
(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि –

- (i) बी – अंधता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

- (i) डी-बधिर

(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बधिर

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती।वर्षों महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। *
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- | | |
|--|----------|
| (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ii) पी पी-धकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (viii) डब्लू-चलते हुए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |
| (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं। | हाँ/नहीं |

डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

(डा0.....)

सदस्य
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति हस्ताक्षरित
(मुहर सहित)

* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-04

शासनादेश संख्या: 374(1)/xxx(2)/2019-30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्धांत :-

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात) से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-4(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-4(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-4(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट-4(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।
3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-4(1)** प्रमाणपत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।
4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।
5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा(प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।
6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की-बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।
8. जिन परीक्षाओं में कैलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को **talking calculator** की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (**trailer frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.**) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।
9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू-तल के निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

-SD-
सचिव

परिशिष्ट-04 (1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ----- (name of the candidate with disability), a person with ----- (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o -----, a resident of ----- (Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट-04 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I -----, a candidate with -----(name of the disability) appearing for the -----(name of the examination) bearing Roll No. -- ----- at ----- (name of the centre) in the District ----- (name of the State). My qualification is -----.

I do hereby state that -----(name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is ----- . In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट-05

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एवं/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट-5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के संबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट-5(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण-पत्र निम्नवत गठित बहु-सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है-

- i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....अध्यक्ष
- ii. Orthopaedic/PMR specialist
- iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
- iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/Special Educator
- v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
- vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट-5(1)** प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता संबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान-पत्र के साथ **परिशिष्ट-5(2)** प्रमाण-पत्र एवं **परिशिष्ट-5(1)** प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक-पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट-5(1)** प्रमाण-पत्र के बिन्दु संख्या-2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू-तल पर निर्धारित परीक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
9. उक्त दिशा-निर्देश शासनादेश सख्या: 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014, दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होंगे।

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव

परिशिष्ट-05 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.....(name of the candidate), s/o /D/oa resident of (Vill/PO/PS/District/State), aged..... yrs. a person(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट-05 (2)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the center) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट-06

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा- 2023 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

क्र.सं.	आरक्षण की श्रेणी	न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।
1	सामान्य एवं सम्बन्धित उपश्रेणी हेतु	35
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी हेतु	30
3	अनुसूचित जनजाति एवं सम्बन्धित उपश्रेणी हेतु	25

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023 के अन्तर्गत मुख्य लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

(i) उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा (संशोधन) नियमावली, 2011 के प्राविधानानुसार लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे, परन्तु यह कि लिखित परीक्षा में 40 प्रतिशत या उससे अधिक अंक या तत्समान श्रेणी, यदि कोई हो, प्राप्त करने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी मौखिक परीक्षा के लिए पात्र होंगे।

(ii) ऐसे अभ्यर्थी जो कम्प्यूटर संचालन के आधारभूत ज्ञान की प्रायोगिक परीक्षा में 40 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेंगे, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट-07

उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा सिविल न्यायाधीश (कनिष्ठ श्रेणी) परीक्षा-2023

Check List

अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

अनुक्रमांक—

क्र० सं०	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं (हां/नहीं)
01	विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
02	प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	हाईस्कूल अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।	
05	इण्टरमीडिएट अंकतालिका एवं प्रमाण-पत्र।	
06	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि।	
07	परास्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका एवं उपाधि। (यदि लागू हो)	
08	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0) (यदि लागू हो)	
09	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण-पत्र। (उत्तराखण्ड महिला) (यदि लागू हो)	
10	स्थायी निवास प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
11	अभ्यर्थी यदि किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र। (यदि लागू हो)	
12	यदि अभ्यर्थी के स्वयं/पिता/माता/पति के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में। (यदि लागू हो)	
13	अभिलेख सत्यापन हेतु फोटो युक्त पहचान पत्र यथा आधार कार्ड/वोटर आई0डी0 कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस आदि।	
14	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक-तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण-पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक-तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण-पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण-पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण-पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या-310 दिनांक 26.02.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण-पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओं हेतु जारी हों।

नोट— अभ्यर्थी उक्तानुसार विस्तृत आवेदन पत्र (प्रपत्र संख्या-02), प्रमाणीकरण प्रपत्र (प्रपत्र संख्या-03), देशना पत्रक (प्रपत्र संख्या-04) के 02-02 सेट पृथक-पृथक पूर्ण रूप से स्वयं की Handwriting में भरे हुए एवं समस्त प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत करना सुनिश्चित करेंगे।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम